सं. 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)/7138

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं. 1(24)/ईवी/2016 के संदर्भ में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के समसंख्यक अ.शा. पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में नियमित रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थापना करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

2. उपरोक्त का.ज्ञा. में यह भी निदेशित किया गया है कि प्रत्येक छमाही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक स्थिति रिपोर्ट भेजी जाए, जिसमें उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी इस टिप्पणी के साथ दी जाए, कि क्या एनपीएस अंशदान समय पर जमा किए जा रहे हैं और किसी भी चूक के मामले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे दिए जाएं।

3. तदनुसार, व्यय विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने मंत्रालय/विभाग में उपरोक्त एनपीएस निरीक्षण तंत्र की स्थिति और अब तक की गई निगरानी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा. पत्र के साथ संलग्न विहित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

4. तथापि, इस बाबत बहुत कम मंत्रालयों/विभागों से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसे मंत्रालयों/विभागों की सूची, जिन्होनें दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि की छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, संलग्न है।

5. अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उपरोक्त रिपोर्ट **संशोधित प्रारूप**(संलग्न) में इस विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित की जाए और भविष्य में भी नियमित रूप से भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरि

प्रमोद

(डॉ. प्रमोद कुमार)

निदेशक

सचिव,

केंद्रीय सरकार मंत्रालय/विभाग

मेल द्वारा